भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3106
दिनांक 18 दिसंबर 2025

पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में लंबे समय से स्थिरता का प्रभाव

3106. श्री तारिक अनवरः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पेट्रोल और डीजल की कीमतों में दीर्घकालिक स्थिरता बनाए रखने का सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) की वित्तीय स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है;

(ख) प्राकृतिक गैस (सीएनजी/पीएनजी) की बढ़ती मांग को पूरा करने और आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) ग्रीन हाइड्रोजन जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए निजी निवेश आकर्षित करने के संबंध में क्या योजना है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (ग): देश में पेट्रोल और डीजल के मूल्य बाजार निर्धारित हैं और ओएमसीज पेट्रोल और डीजल के मूल्य निर्धारण पर उचित निर्णय लेती हैं। हालांकि, सरकार वैश्विक तेल मूल्यों में हो रहे उतार-चढ़ाव के प्रभाव के प्रति संवेदनशील रहती है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कमी करने जैसे संतुलित उपाय किए गए हैं। उदाहरण के तौर पर सरकार ने पेट्रोल और डीजल के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में दो बार नवंबर, 2021 और मई, 2022 में क्रमश: कुल 13 रुपए/लीटर और 16 रुपए/लीटर की कमी की है, जिसका लाभ उपभोक्ताओं को पूर्णतः प्रदान किया गया था। कुछ राज्य सरकारों ने भी नागरिकों को राहत पहुँचाने के निमित्त राज्य वैट दरों को कम किया । मार्च, 2024 में ओएमसीज ने, पेट्रोल और डीजल, प्रत्येक के खुदरा मूल्यों में 2 रुपए प्रति लीटर की कमी की। अप्रैल 2025 में, पेट्रोल और डीजल प्रत्येक के उत्पाद शुल्क में 2 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की गई, लेकिन इसका भार उपभोक्ताओं पर नहीं डाला गया।

हाल ही में पीएसयू ओएमसीज ने अंतर-राज्य भाड़े का युक्तिकरण किया है। इससे राज्यों के भीतर सुदूर भागों में पेट्रोलियम ऑयल और ल्यूब्रिकेंट (पीओएल) डिपो से दूर, सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में कमी के रुप में लाभ प्राप्त हुआ है। इस पहल ने राज्य में पेट्रोल अथवा डीजल के अधिकतम और न्यूनतम खुदरा मूल्यों के बीच के अंतर को भी कम कर दिया है।

सरकार ने आम नागरिको को उच्च अन्तरराष्ट्रीय मूल्यों से सुरक्षित रखने के लिए कई अन्य कदम भी उठाए हैं, जिनमें कच्चे तेल की आयात बास्केट में विविधता लाना, घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व के प्रावधानों को लागू करना, पेट्रोल में एथेनॉल का मिश्रण बढ़ाना आदि शामिल है।

सरकार, प्रत्येक नागरिक के लिए ऊर्जा की सुरक्षा, सामर्थ्य और सुलभता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार, इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सीएनजी, एलएनजी, हाइड्रोजन, ईथेनॉल सहित जैव ईंधन, इलेक्ट्रिक वाहन आदि जैसे वैकल्पिक ईंधनों के उपयोग को बढ़ावा दे रही है।

सरकार ने जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 अधिसूचित की, जिसमें देश में वर्ष 2030 तक पेट्रोल में 20% ईथेनॉल और डीजल में 5% जैवडीजल के मिश्रण का सांकेतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया। बाद में, सरकार ने पेट्रोल में 20% ईथेनॉल के मिश्रण के लक्ष्य को वर्ष 2030 से घटाकर वर्ष 2025-26 कर दिया। सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसीज ने चालू इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2024-25 के दौरान, औसतन 19.24% मिश्रण हासिल कर लिया है। अक्टूबर 2025 माह के दौरान, 19.97% इथेनॉल मिश्रण प्राप्त कर लिया गया है।

जैव ईंधन के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए ईथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम, जिसमें तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) ईथेनॉल के साथ मिश्रित पेट्रोल बेचती हैं, जैवडीजल मिश्रण कार्यक्रम जिसमें जैवडीजल को डीजल के साथ मिलाया जाता है, किफायती परिवहन के लिए दीर्घकालिक विकल्प (एसएटीएटी) पहल, जिसमें संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) के साथ संपीड़ित जैव गैस (सीबीजी) का विपणन किया जाता है, जैसे विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

सरकार ने ग्रामीण भारत सहित पूरे देश में जैव ईंधन उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारण, प्रोत्साहन, ईथेनॉल उत्पादन हेतु वैकल्पिक मार्ग खोलने, ईथेनॉल उत्पादन के लिए कृषि अवशेषों पर आधारित दूसरी पीढ़ी की ईथेनॉल जैव-रिफाइनरियों की स्थापना हेतु प्रधानमंत्री जी-वन योजना अधिसूचित करने, विभिन्न अपशिष्ट/बायोमास स्रोतों से सीबीजी और जैव-खाद के उत्पादन के लिए एसएटीएटी पहल, ईथेनॉल डिस्टीलेशन क्षमता में वृद्धि और विस्तार हेतु ब्याज अनुदान योजना अधिसूचित करने आदि जैसे कदम उठाए हैं।

सरकार घरेलू तेल और गैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं:

I. हाइड्रोकार्बन खोजों के शीघ्र मुद्रीकरण के लिए पीएससी व्यवस्था के तहत नीति, 2014

II. खोजे गए लघु क्षेत्र नीति, 2015

III. हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी), 2016

IV. पीएससीज के विस्तार के लिए नीति, 2016 और 2017

V. कोल बेड मीथेन के शीघ्र मुद्रीकरण के लिए नीति, 2017

VI. राष्ट्रीय डेटा भंडार की स्थापना, 2017

VII. राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम 2017 के तहत तलछटी बेसिनों में अमूल्यांकित क्षेत्रों का मूल्यांकन।

VIII. पूर्व-नयी अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (प्री-एनईएलपी) 2016 और 2017 के तहत खोजे गए क्षेत्रों और अन्वेषण ब्लॉकों के लिए पीएससीज के विस्तार हेतु नीतिगत ढांचा ।

IX. तेल और गैस के लिए उन्नत पुनर्प्राप्ति विधियों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने हेतु नीति, 2018

X. मौजूदा उत्पादन-साझेदारी संविदा (पीएससीज), कोल बेड मीथेन (सीबीएम) संविदा और नामित क्षेत्रों के तहत अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण एवं दोहन हेतु नीतिगत ढांचा, 2018

XI. प्राकृतिक गैस विपणन सुधार, 2020

XII. बोलीदाताओं को आकर्षित करने के लिए श्रेणी II और III बेसिनों के अंतर्गत ओएएलपी ब्लॉकों में चरण-1 में कम रॉयल्टी दरें, शून्य राजस्व हिस्सा (अप्रत्याशित लाभ तक) और वेधन की कोई प्रतिबद्धता नहीं।

XIII. अपतटीय क्षेत्र में दशकों से अन्वेषण के लिए अवरुद्ध लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर (एसकेएम) 'नो-गो ' क्षेत्र को मुक्त करना।

XIV. सरकार भारतीय तलछटी बेसिनों के गुणवत्तापूर्ण डेटा को बोलीदाताओं के लिए उपलब्ध कराने हेतु स्थलीय और अपतटीय क्षेत्रों में भूकंपीय डेटा अधिग्रहण और स्ट्रेटिजिक कूपों के वेधन पर लगभग 7500 करोड़ रुपये भी खर्च कर रही है। सरकार ने भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) के अलावा तटवर्ती क्षेत्र में 20,000 एलकेएम और अपतटीय क्षेत्र में 30,000 एलकेएम के अतिरिक्त 2डी भूकंपीय डेटा के अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान की है।

भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (एनजीएचएम) शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन और इसके व्युत्पन्न के उत्पादन, उपयोग और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है।

एनजीएचएम का लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्रति वर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करना है।

स्ट्रेटिजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन (एसआईजीएचटी) इस मिशन का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो हरित हाइड्रोजन उत्पादन और इलेक्ट्रोलाइज़र निर्माण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है।

*****